(नमूना काबिले फरोख्त)

3²⁰/

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर ५ कायद १ व ५)

न्यायालय निला जज जिला गौतम बुद्ध नगर (85/6)

नम्बर मुकदमा 56 सन् 2019

सतेन्द्र वादी

बनाम प्रवीण

मै० ओला फ्लीट टेक्नोलोजीस प्रा० लि० प्रतिवादी
प्लाट न० 86 उद्योग विहार फेस 1 गुडगांव
द्वारा मैनेजर

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बावत के दायर की है
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 04 माह 07 सन् 2019 बवक्त १० बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनाब देही दावा की करे और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

नाम अदालत-
नम्बर मुकदमा-
नाम फरीकैन-

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन् ई० जारी किया गया।

जज

इत्तिला

(1) अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे। तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जाये और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके इस उम्र की दरखवास्त गुजराये।

(2) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनो पर हो, करना न पड़े।

न्यायालय श्रीमान मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल/जिला जज महोदय गौतमबुद्धनगर

एम0ए0सी0 नं0 46 सन् 2019

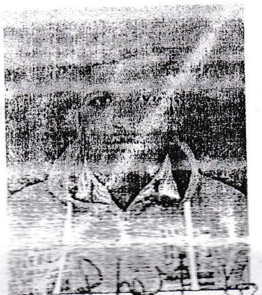

1. सतेन्द्र (उम्र 28 वर्ष) पुत्र जिलेराम निवासी ग्राम विशनूली परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

..... प्रार्थी।

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री दामोदर सिंह निवासी मदनपुर निछोली, एटा उ0प्र0। (चालक HR55 AA-5505)

2. मै0 ओला फ्लीट टेक्नोलोजिस प्रा0 लि0 प्लॉट न0 86 उद्योग विहार फेस–1 गुरूग्राम द्वारा जनरल मेनेजर।

(स्वामी HR55 AA-5505)

3. [illegible] फॉर्थ फ्लोर न0 1/2 59 दी क्रॉस फॉर्थ एम0 ब्लॉक राजाजीनगर बैंगलोर स्थानीय ब्लॉक नं0 4 7वा तल डी0एल0एफ0 टावर 15 शिवाजी मार्ग नई दिल्ली 110015 द्वारा जनरल मेनेजर।

(बीमा कम्पनी गाडी नं0 HR55 AA-5505)

..... विपक्षीगण।

क्लेम पिटीशन अन्तर्गत धारा 166 व 140 एम0वी0 एक्ट 1988।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा घायल सतेन्द्र पुत्र जिलेराम, दुर्घटना दिनांक 19.10.2017 में आयी चोटों के के सम्बन्ध में मुआवजा प्राप्त करने हेतु याचिका दायर की जा रही हैं। घायल को सडक दुर्घटना में शामिल वाहन व क्लेम याचिका का विवरण निम्न हैं :–

1. घायल का नाम एवं पिता का नाम — सतेन्द्र पुत्र जिलेराम

2. घायल का पुरा पता — ग्राम विशनूली परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।

3. घायल का व्यवसाय और संस्थान — (नौकरी)

4. घायल की मासिक आय	15000/--रु0 माहवार
5. नाम व उम्र घायल के परिवार के सदस्यों व	1. कविता (पत्नि) 26 वर्ष 2. तुलसी (पुत्री) 10 वर्ष 3. हर्ष (पुत्र) 8 वर्ष 4. तनिष्का (पुत्री) 6 वर्ष 5. आयुष (पुत्र) 3 वर्ष
6. घायल की उम्र	28 वर्ष
7. क्या घायल आयकरदाता हैं	जी नहीं
8. घटना का दिनांक व स्थान	19.10.2017 जी0टी0रोड़ महक रेजीडेन्सी के निकट।
9. थाना जिसके अन्तर्गत दुर्घटना घटित हुई	थाना बादलपुर
10. क्या घायल जिसके सम्बन्ध में मुआवजा योजित किया हैं वाहन पर यात्रा कर रहा था, जिससे दुर्घटना घटित हुई	जी नहीं।
11. घायल के चोटो की प्रकृति	गम्भीर
12. नाम व पता अस्पताल जहॉ घायल का ईलाज हुआ।	मोहन स्वरूप अस्पताल दादरी एवं अन्य।
13. दुर्घटना घटित करने वाले का रजिस्ट्रेशन न0 एवं श्रेणी	एच0आर055 एए5505 निजी कार।
14. नाम व पता चालक	विपक्षी नं0 1
15. नाम पता स्वामी वाहन	विपक्षी नं0 2
16. नाम पता वाहन का बीमाकर्ता	विपक्षी संख्या 3
17. क्या याची ने स्वामी या बीमाकम्पनी के विरूद्व कोई अन्य याचिका किसी अन्य स्थान पर योजित की हैं	जी नहीं।
18. दुर्घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें का विवरण	थाना बादलपुर मु0अ0सं0 315/2017 अ0धारा 279, 337, 338 आई0पी0सी0।

19. क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण — मोटर साईकिल।

20. मुआवजे की धनराशि का विवरण — अ. ईलाज का खर्चा अं. 2,00,000 / –

ब. मानसिक एवं शारारिक कष्ट हेतु 1,00,000 / –

स. डॉक्टर की सलाह पर विशेष खुराक एवं आने जाने व ओ0पी0डी0 में खर्चा 50,000 / –रु0।

द. दुर्घटना के कारण कार्य छुटने का मुआवजा अंकन 30,000 / --रु0।

21. <u>अन्य विवरण जो याचिका के निस्तारण हेतु आवश्यक हैं</u>।

1. यह कि प्रार्थी / याची दिनांक 19.10.2017 को अपने भाई के साथ मोटर साईकिल संख्या यू0पी0–16 एन0बी0[illegible]–06034 से अपने गॉव से हरिशचन्द का बाग के लिए जा रहा था। मोटर साईकिल उसका भाई चला रहा था जब वह मोटर साईकिल से महक रेजीडेन्सी निक्ट के0आर0बी0एल0 पहुचें तो स्विफ्ट डिजायर संख्या एच0आर0 संख्या 55–एए5505 के चालक द्वारा बडी लापरवाही से गाडी चलाते हुए मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। जिससे याची को गम्भीर चोटे आयी और उन चोटों के कारण उसको मोहनस्वरूप अस्पताल दादरी में भर्ती कराया गया जहॉ उसका उपचार हुआ।

2. यह कि उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण प्रार्थी को काफी समय अस्पताल में भर्ती रहना पडा एवं उसका कार्य छुटा।

3. यह कि उक्त दुर्घटना के विपक्षी संख्या 1 की लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्वक यातायात के नियमों की अवहेलना करते हुए गाडी चलाने के कारण घटित हुई जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी / याची के भाई द्वारा थाना बादलपुर पर मु0अ0स0 315 / 2017 अ0धारा0 279,337,338 भ0द0स0 में पजींकृत कराया गया।

4. यह कि उक्त दुर्घटना के समय विवेचना में भी विपक्षी संख्या 1 चालक की लापरवाही के कारण उसके विरुद्ध ही थाना बादलपुर के कारण ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया हैं, जिससे पूर्णतः स्पष्ट हैं [illegible] विपक्षी संख्या 1 के लापरवाही पूर्वक गाडी चलाने

5. यह कि उक्त दुर्घटना में संलिप्त विपक्षी संख्या 1 चालक व स्वामी विपक्षी संख्या 2 व बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या 3 संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, इसलिए प्राथी को विपक्षीगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक--पृथक रूप से मुआवजा दिलाया जावें।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना हैं कि याची को विपक्षीगण 1 ता0 3 से संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से 3,30,000/--रु0 मय 18प्रतिशत ब्याज दुर्घटना की तिथि से दिलाया जावें।

याची

सुरेन्द्र

सत्यापन :--

मैं याची सत्यापित करता हूँ कि याचिका की धारा 1 ता 21 का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान व एवं कानूनी सलाह के आधार सही एव सत्य है।

25-2-2019

MOHD IRSHAD ALI

Advocate

स्थान :-- गौतमबुद्धनगर

सुरेन्द्र

दिनांक :-- 25.2.2019.

320

सेवा में
माननीय न्यायाधीश
जनपद - गुरुग्राम

District Judge

MACC ५६/१९
सतेन्द्र - व प्रवीन
५/७/१९